88

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 1990/अग्रहायण 21, 1912
No. 532] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 1990/AGRAHAYANA 21, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1990

सा. का. नि. 945(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1990 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. स. पी. आर.-12016/8/90-पी. ई. 1]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1990

प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 28 के खण्ड (ख) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं :—

1. शीर्षक और प्रयोग

(क) इन नियमों को "जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (कल्याण निधि) विनियम, 1990" कहा जाएगा।

(ख) ये विनियम, अनुसूची पर लाये हुए सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(ग) ये विनियम, किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों या मजदूरों पर भी लागू होंगे जैसा कि समय-समय पर अध्यक्ष निर्धारित करे।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "बोर्ड" अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विभाग प्रमुखों का वही मतलब होगा जैसा कि प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 में क्रमश: उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

(ख) "कर्मचारी" का अर्थ, बोर्ड के एक कर्मचारी से है चाहे वह स्थायी अथवा अस्थायी हो तथा सरकार के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी या बोर्ड में इतर सेवाओं पर आये स्थानीय या अन्य प्राधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(ग) "निधि" का अर्थ, विनियम 3 के अन्तर्गत स्थापित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी कल्याण निधि से है।

(घ) "परिवार" का अर्थ, पत्नी, पति और वैध बच्चे तथा कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित दत्तक बच्चों से है।

(च) "अनुसूची" का अर्थ, प्रमुख पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 23 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा तैयार की गई अनुसूची।

3. निधि की स्थापना

यहां एक निधि की स्थापना की जाएगी जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी कल्याण निधि के नाम से जाना जाएगा और उसमें निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां जमा की जाएंगी—

(क) बोर्ड के सामान्य लेखा से अंशदान जो कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर मंजूर किया जाता हो।

(ख) "फैक्टरी" में काम पर लगे कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों से वसूल किया गया दण्ड, जो कि फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) में परिभाषित किया गया है।

(ग) "फैक्टरी" में काम पर लगे कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की देय वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं अन्य भुगतान, जैसा कि फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2(एम) में परिभाषित किया गया है, जो कि देय तारीख से 3 वर्ष की अवधि से अधिक समय से अदावी पड़े हुये हों।

(घ) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत रोकी गई अंशदायी भविष्य निधि का अंशदान।

(च) निधि से संबंधित निवेशों पर ब्याज और/या लाभ।

(छ) उपहार या संदान के रूप में निधि में दी गयी कोई राशि या संपत्ति।

4. निधि का प्रशासन

यह निधि अध्यक्ष द्वारा प्रशासित की जाएगी जो इस उद्देश्य के लिए एक सलाहकार समिति गठित कर सकता है ।

5. निधि से किये जाने वाले व्यय

निधि में उपलब्ध राशि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाई जाएगी —

(क) विनियम 4(ग) के अन्तर्गत निधि में अन्तरित की गई कर्मचारियों का भुगतान उनके अदावी वेतन मजदूरी इत्यादि ।

(ख) कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के कल्याण से संबंधित संदानो, अभिदानों तथा संस्थानों, क्लबों, सहकारी समितियों, स्पोर्टस कौंसिल- इत्यादि को दिये जाने वाले उपहार ।

(ग) (क) कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति और पुस्तकों का अनुदान ।

(ख) शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ साक्षरता वर्ग चलाना, अंपगों को शिक्षण देना तथा वाचनालयों का रख-रखाव ।

(ग) किसी का जीवन बचाने और अन्य सराहनीय कार्यों या उत्कर्ष क्रियाकलापों के लिये कर्मचारियों को विशेष पुरस्कार ।

(घ) विकट संकट के दिनों में कर्मचारियों को वित्तीय सहायता ।

(च) कर्मचारियों के लिये स्पोर्ट प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन तथा नाटक, संगीत, चलचित्र एवं भजन के लिये अनुदान।

(छ) कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के हित के लिये इसी प्रकार के अन्य खर्च जो कि अध्यक्ष द्वारा उचित समझा जाए

टिप्पणी : कल्याण निधि में से व्यय करने के लिये अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर मार्ग निर्देशक सिद्धांत, यह सुनिश्चित करने के लिये, बनाएं जाएंगे कि कल्याण क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय उसी हद तक सीमित हों जहां तक सामान्य राजस्वों से वार्षिक अंशदान किया जा सके।

6. प्रत्येक मामलों में निधि का संवितरण अध्यक्ष के विशिष्ट मंजूरी से ही किया जाएगा । बहरहाल, अध्यक्ष विनियम 5 में विनिर्दिष्ट- किसी मदों के संबंध में अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन उपाध्यक्ष या विभाग प्रमुख या किसी अन्य अधिकारी को कर सकता है। इस विनियम के अन्तर्गत वर्तमान समय में विभिन्न अधिकारियों को प्रत्यायोजित किये जाने वाले अधिकारों को अनुबंध 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

7. निधि में अधिकतम संचयन

निधि के अधिकतम संचयन की एक सीमा होगी जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए । निधि में अधिकतम संचयन की सीमा से ऊपर की अतिरिक्त राशि बोर्ड के सामान्य लेखे में जमा की जाएगी ।

8. निर्वचन (व्याख्या)

जहां किसी प्रश्न के व्याख्या की समस्या उठती हो, बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा ।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (कल्याण निधि) विनियमों के अन्तर्गत अधिकारों का प्रत्यायोजन

अनुबंध—1

सं.	विनियम संख्या	प्रत्यायोजन का स्वरूप	प्रत्यायोजित प्राधिकारी	प्रत्यायोजन की सीमा
1.	5(क)	अदावी वेतन मजदूरी इत्यादि की वापसी को प्राधिकृत करना	संबंधित विभाग के विभाग प्रमुख	पूर्ण अधिकार, बशर्ते कि क्रेडिट वित्त विभाग द्वारा सत्यापित की जाती हों ।
2.	5 (ख)	संस्थानों, क्लबों, सहकारी समितियों, इत्यादि को संदान, अभिदान करना	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन पूर्ण अधिकार ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12 December, 1990

G.S.R. 945(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Welfare Fund) Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12016/8/90-PE-I]
ASHOKE JOSHIF, Jt. Secy.

SCHEDULE

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST EMPLOYEES

WELFARE FUND REGULATIONS, 1990

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust hereby makes, the following Regulations viz. :—

I. Short title and application :

(A) These Regulations may be called the "Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Welfare Fund) Regulations, 1990".

(B) They shall apply to all categories of employees borne on the Schedule.

(C) They shall also apply to any other class of employees or labour as the Chairman may decide from time to time.

II. Definition :

In these Regulations, unless the Context otherwise requires—

(A) 'Board', Chairman, Dy. Chairman and Heads of the Department shall have the meaning respectively assigned to them in the Major Port Trusts Act, 1963.

(B) 'Employee' means an employee of the Board whether permanent or temporary and includes any emloyeep on foreign service and any permanent or temporary employee of the Central or a State Government or a local or other authority on foreign service with the Board.

(C) 'Fund' means the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees Welfare Fund established under Regulation 3

(D) 'Family' means the wife, husband and legitimate children, including adopted children wholly dependent on the employee.

(E) 'Schedule' means the Schedule of Employees prepared by the Board under Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963.

III. Establishment of the Fund :

There shall be established fund to be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees Welfare Fund and the receipts creditable to the Fund shall consist of the followiog, viz. :—

(A) Contribution from the general account of the Board as may be sanctioned by the Board from time to time.

(B) Fines realised from the employees other than the employees employed in a 'Factory' as defined in Section 2(m) of the Factories Act, 1948.

(C) Salaries, wages, allowances and other payments due to employees other than the employees employed in a 'Factory' as defined in Section 2(m) of the Factories Act, 1948 remaining unclaimed for over three years from the date they become due.

(D) Contribution to the Contributory Provident Fund withheld under the Provisions of the JNPT Provident Fund Regulations.

(E) Interest and or profit on investments belonging to the Fund.

(F) Any other sum or Property made over to the fund by way of gift or donation.

IV. Administration of the Fund:

The Fund shall be administered by the Chairman who may constitute an Advisory Committee for the purpose

V. Expenditure from the Fund:

The money available in the Fund shall be utilised for the following purposes:—

(A) Payment to the employee, his unclaimed salaries, wages etc. transferred to the Fund under Regulation 4 (c)

(B) Donations, subscriptions and gifts to Institutions, Clubs, Co-operative Societies, Sports Council, etc. connected with the Welfare of employees and their families.

(C) (a) Grant of scholarships and books to children of employees.

(b) Educational facilities including literacy classes, teaching of handicrafts and maintenance of reading rooms.

(d) Special rewards to employees for life saving and other meritorious acts or outstanding performance.

(e) Financial assistance to employees in acute distress.

(f) Grant for conducting sports, competition etc. dramas, music, film shows and bhajans for employees

(g) Such other expenditure for the benefit of employees and their families as may be deemed fit by the Chairman.

te: Guidelines for incurring expenditure from the Welfare Fund shall be framed by the Chairman from time to time in order to ensure that the expenditure on the welfare activities is limited to the extent to which the contribution from the General Revenues can be made annually.

VI. Disbursements from the Fund shall be made in each case with the specific sanction of the Chairman, the Chairman may ~~however delegate his~~ powers in respect of any items specified in Regulation (5) to Dy. Chairman or Heads of Department or any other Officer subject to such conditions as may be prescribed from time to time. The powers presently being delegated to the various authorities under this Regulation are specified in Annexure-I.

VII. Maximum accumulation in the Fund:

There shall be a limit on the maximum accumulation in the Fund as specified by the Board from time to time. any Surplus in the Fund over and above the maximum accumulation shall be credited to the General Account of the Borrd.

VIII. Interpretation:

Where a question arises as to the interpretation of the question the decision of the Board shall be final.

DELEGATION OF POWERS UNDER JNPT (WELFARE FUND) REGULATIONS

Annexure-I

S. No.	Regulation No.	Nature of Delegation	Delegated Authority	Extent of Delegation
1.	V (5)(a)	Authorising refund of the unclaimed salaries, wages etc.	HOD of the concerneo department	Full powers subject to the credit being certified by Finance Department.
2.	V (5)(b)	Making donations, subscriptions, etc. to Institutions, Clubs, Co-op. Societies etc.	Dy. Chairman.	Full powers subject to such guidelines as may prescribe by the Chairman.

3300 GI/90

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064

and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990